राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नया रायपुर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511280, फैक्स–0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक / एन.एच.एम. / 2018 / 467/1325 नया रायपुर , दिनांक 28/7/2018

::आदेश::

एतद् द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति, कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 का कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) क्रमांक / एनएचएम / ईसीमीटिंग / 2018 / 234 / 504 दिनांक 22.05.2018 अनुसार एजेण्डा क्रमांक–15 में समिति द्वारा अनुमोदित पश्चात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 जारी की जाती है।

संलग्न :– मानव संसाधन नीति–2018।

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे भा.प्र.से.)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

पृष्ठ क्र. / NHM / 2018 467/1325 नया रायपुर दिनांक 28/7/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, परिवार कल्याण, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
5. जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग, समस्त छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. उप संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
9. उप संचालक / राज्य कार्यक्रम अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
11. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला समस्त छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक (NHM) जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
13. कार्यालयीन प्रति ।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

"मानव संसाधन नीति"

वर्ष : 2018

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
छत्तीसगढ़,

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नया रायपुर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)

दूरभाष–0771–2511280, फैक्स–0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक / रा.स्वा.मिशन / एच.आर. / 467/1325 नया रायपुर, दिनांक :28/7/18

"मानव संसाधन नीति" वर्ष : 2018

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता को परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा इसका विस्तार करते हुए राष्टोय शहरी स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2013 से इस मिशन में शामिल किया गया तथा राष्ट्रोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का नया स्वरूप **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन"** प्रारंभ किया गया है। जिसका संचालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन के प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु जारी मानव संसाधन नीति –2014 को अधिक्रमित करते हुय नवीन **मानव संसाधन नीति– 2018** को दिनांक 01 जून 2018 से लागू किया जाता है। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन को पारदर्शिता पूर्ण संरचना प्रदान किया जा सके।

1. "मानव संसाधन नीति –2018"

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हेतु "मानव संसाधन नीति –2018" कहलायेगे जो अनुमोदन उपरांत प्रभावशील होगी।

2. "मानव संसाधन नीति –2018" किन के लिये है –

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत राज्य एवं जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा नियुक्त किये गये सभी मानव संसाधन अमलों पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग द्वारा भरे गये पदों पर यह नीति लागू नहीं होगी।

3. मानव संसाधन नीति का उद्देश्य :

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, "मानव संसाधन नीति–2018" का उद्देश्य संवहनीय स्वास्थ्य सेवा तंत्र के निर्माण के लिए उच्च कौशल युक्त प्रभावी क्षमता अनुरूप मानव संसाधन का निर्माण करना तथा मिशन में कार्यरत लोगों के मध्य विश्वास की संस्कृति एवं पारदर्शिता पूर्ण संरचना लागू करना है। जिसमें प्रमुख रूप से निम्न गतिविधियों समाहित है –